रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2000/श्रावण 11, 1922
No. 417] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2000/SRAVANA 11, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2000

सा.का.नि. 647(अ).— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है : और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (............ संशोधन) नियम, 2000 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट 'ख' में,

(क) मद क 14 में, विद्यमान पहले और दूसरे परतुक में "परंतु" शब्द से आरंभ होने वाले और "परंतु यह और कि" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

परंतु चाय ऐसे प्राकृतिक सुवास और वासक पदार्थों से युक्त हो सकेगी, जो क्रमशः वासक निर्मितियां और एकल पदार्थ हैं, और जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है और जिन्हें आत्यंतिक रूप से मानव उपभोग के लिए वनस्पति मूल की सामग्री से, चाहे वह प्राकृतिक अवस्था में हो अथवा प्रसंस्कृत हो, भौतिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी चाय में, नियम 42 के उपनियम (मम) में यथा उपबंधित, समुचित लेबल घोषणा के अधीन मिलाया गया वासक भी होगा :

परंतु यह भी कि";

(ख) मद क 14.01 में, विद्यमान पहले और दुसरे परंतुक में "परंतु" शब्द से आरंभ होने वाले और परंतु यह और कि" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"परंतु चाय ऐसे प्राकृतिक सुवास और वासक पदार्थों से युक्त हो सकेगी, जो क्रमशः वासक निर्मितियां और एकल पदार्थ हैं, और जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है और जिन्हें आत्यंतिक रूप से मानव उपभोग के लिए वनस्पति मूल की सामग्री से, चाहे वह प्राकृतिक अवस्था में हो अथवा प्रसंस्कृत हो, भौतिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी चाय में, नियम 42 के उपनियम (मम) में यथा उपबंधित, समुचित लेबल घोषणा के अधीन मिलाया गया वासक भी होगा :

परंतु यह भी कि";

[सं. पी. 15014/9/2000/—पी.एच(एफ)/डीएमएस एण्ड पीएफए]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोटः— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955 का.नि.आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 537(अ) दिनांक 13-6-2000 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2000

G.S.R. 647(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, proposes to make, in exercise of the power conferred by proviso to sub-section (1) read with sub-section (1 A) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said section (1) for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public,

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (____ Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix 'B',

a) In item A. 14, in the existing first and second proviso, for the words beginning with "Provided that "and ending with the words "Provided further that", following shall be substituted, namely :-

"Provided that tea may contain Natural Flavours and Natural Flavouring Substances which are flavour preparations and single substance respectively, acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical process from material of vegetable origin either in the natural state or after processing for human consumption:

Provided further that such tea shall contain added flavour under proper label declaration as provided in sub rule (YY) of rule 42:

Provided also that;

b) In item A.14.01, in the existing first and second proviso, after the words beginning with "Provided that" and ending with "Provided further that ", following shall be substituted, namely:-

"Provided that tea may contain Natural Flavours and Natural Flavouring Substances which are flavour preparations and single substance respectively, acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical processing from material of vegetable origin either in the raw state or after processing for human consumption.

Provided further that such tea shall contain added flavour under proper label declaration as provided in sub-rule (YY) of the rule 42:

Provided also that",

[No. P. 15014/9/2000–PH(F)/DMS&PFA]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Foot Note:— The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 537(E) dated 13-6-2000.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.